



प्रेस नोट

थाना बाबूगढ

दिनांक 04.05.2021

थाना बाबूगढ पुलिस जनपद हापुड द्वारा कोविड -19 महामारी अधि० व धारा 144 सीआरपीसी का उल्लंघन कर चुनाव जीतने के उपरान्त जश्न मनाते हुए जुलूस निकालने वाले नवनिर्वाचित प्रधान पति सहित 06 नफर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया ।

कार्यवाही:-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय हापुड के आदेशानुसार जनपद में विजयी जुलूस/भीड इकट्ठा करने वालों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के अन्तर्गत थाना बाबूगढ पुलिस द्वारा ग्राम दयानतपुर में नवनिर्वाचित प्रधान पति साहित्य पुत्र रामबीर सिंह द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर कोविड -19 महामारी अधि० व धारा 144 सीआरपीसी का उल्लंघन कर गांव में जश्न मनाते हुए जुलूस निकालने के सम्बन्ध में नवनिर्वाचित प्रधान पति सहित 06 अभि०गण को गिरफ्तार किया गया ।

उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बाबूगढ पर मु०अ०सं० 179/2021 धारा 188,269,270 भादवि व धारा 3 महामारी अधि० पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. साहित्य पुत्र रामबीर सिंह
2. मुकुल पुत्र अनिल कुमार
3. राहुल पुत्र विक्रम सिंह
4. आदेश पुत्र सत्यपाल सिंह
5. आचार्य पुत्र सुखपाल सिंह
6. सहदेव पुत्र गोविन्द सिंह नि०गण ग्राम दयानतपुर थाना बाबूगढ जनपद हापुड

फरार अभियुक्तों का नाम व पता: -

1. सन्दीप पुत्र सुरेन्द्र,
2. अंकित पुत्र सतीश,
3. सतीश पुत्र राजसिंह नि०गण ग्राम दयानतपुर थाना बाबूगढ जनपद हापुड व 35 व्यक्ति अज्ञात

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. उ०नि० श्री सुमित तोमर थाना बाबूगढ जनपद हापुड
2. हे०का० 432 हरेन्द्र सिंह थाना बाबूगढ जनपद हापुड
3. हे०का० 288 सतेन्द्र सिंह थाना बाबूगढ जनपद हापुड
4. हे०का० 130 कर्णवीर सिंह थाना बाबूगढ जनपद हापुड